2011/[illegible]030

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

मिश्री देवी बनाम भगवान सहाय

संख्या / वर्ष : 200 /2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	निर्देश विवरण
2?/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। तहसीलदार बस्सी से पूर्व मे कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुरेजात मे प्रतिवादी सं. 5 नारायणी का फोत होना अंकित पाया है। वकील वादी को प्रतिवादी सं. 5 के कायम मुकाम पेश करने की हिदायत दी जाकर पत्रावली दिनांक 16/01/2023 को पेश हो।	
16/01/23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी एवं वादिया स्वयं गैर हाजिर। न्यायालय समय तक रूक रूक कर बार बार आवाजे लगवाई गई परन्तु ना तो वादिया स्वयं हाजिर हुआ ना ही उसकी ओर से कोई वकिल आदि उपस्थित हुआ ऐसी स्थिति मे वादपत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है अतः वादिया का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	